(5) गृह विभाग

आयोग को प्राप्त गृह विभाग से संबंधित सुझावों को समय–समय पर विचार हेतु विभाग को भेजा गया। आयोग से सतत् जीवित समन्वय हेतु गृह विभाग ने **श्री स्वर्ण सिंह, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक,** को "समन्वय अधिकारी" नियुक्त किया था।

आयोग ने संयुक्त रूप से सभी विभागों के समन्वय अधिकारियों की बैठक दिनांक 17/06/2014 को सामाजिक न्याय संचालनालय के सभा कक्ष में आयेाजित की थी।इस बैठक में श्री स्वर्ण सिंह, ने भाग लिया। आयोग ने पुनः विभाग के समन्वय अधिकारीयों को एकल चर्चा / विचार–विमर्श हेतु दिनांक 24/7/14 को आमंत्रित किया। इस बैठक में गृह विभाग की ओर से श्री स्वर्ण सिंह ने भाग लिया। इस तरह समन्वय अधिकारियों से उनके विभाग से संबंधित सुझावों पर मंत्रणा उपरांत उनकी राय/अभिमत लिया गया।

आयोग को प्राप्त गृह विभाग. से संबंधित सुझावों पर अंतिम दौर की एकल चर्चा करने हेतु विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव को दिनांक 31/10/2014 को मंत्रालय के कमेटी रूम में आमंत्रित किया गया था। इस बैठक में गृह विभाग की ओर से उपस्थित **"श्री डी.पी. गुप्ता, सचिव, म.प्र. शासन, गृह विभाग"** से अंतिम दौर की चर्चा कर विभागीय अभिमत लिया गया। इस विचार विमर्श व मंत्रणा के बाद आयोग निम्न अनुशंसाएँ करता है:–

गैर वित्तीय

1. नगरों में रहवासी संघ, हाउसिंग सोसाएटी पुलिस व सामान्य जनों में सांमजस्य बनाने के लिए वरिष्ठ नागरिको को विशेष ट्रेनिंग देकर सुरक्षा उपायो में प्रशिक्षित किया जा सकता है।
2. हर बीट में जो बुर्जुग अकेले रहते हें उनकी जानकारी पुलिस के पास दर्ज होना चाहिए। साथ ही उनके यहाँ कार्य कर रहे घरेलू नौकरों की भी पूर्ण जानकारी मय थाने में उपलब्ध होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त वरिष्ठ नागरिकों के घर पर कार्य कर रहे घरेलू नौकरों और अन्य लोगों के पूर्ववृत्त, वरिष्ठ पुलिस विभाग द्वारा तत्परता से सत्यापित किये जाने चाहिए व अद्यतन रखना चाहिए।
3. वरिष्ठ नागरिको के स्थानीय थाना क्षेत्र में नाम, पते दूरभाष क्रमांक आदि का पंजीयन हो, (जिसे समय–समय पर अद्यतन किया जावे) इससे वरिष्ठो के साथ होने वाले अपराधो में कमी आएगी एवं वरिष्ठ जनो में सुरक्षा की भावना बढ़ेगी।
4. वृद्धों के जीवन व सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए प्रशासनिक व पुलिस व्यवस्था प्रभावी व सुदृढ़ की जावे। इस हेतु पुलिस वरिष्ठजनों के साथ मित्र और केयर गिवर के

तौर पर रिश्ता बनाकर उन्हे सहयोग करे। इस कार्य में स्वयं सेवी संस्थाओं से भी सहयोग लिया जा सकता है। वर्तमान में यह व्यवस्था नगण्य है।

5. वरिष्ठ जनों को मित्रों और पड़ोसियों से घनिष्ठ सम्पर्क बनाए रखने के महत्व और उनके साथ सुरक्षा संबंधी मामलों में जानकारी का आदान–प्रदान करने पर जोर दिया जावे। इस कार्य में स्वयं सेवी संस्थायें उपयोगी हो सकती है व आपात स्थिति में महत्वपूर्ण हो सकती है पुलिस इस हेतु पहल करें।

6. राष्ट्रीय अपराध रेकार्ड ब्यूरो वृद्धों के प्रति अपराध, आत्महत्या और दुर्घटनाजन्य मृत्यु के आकड़ों को संकलित कर अपने वार्षिक प्रतिवेदन में प्रकाशित करे।

7. भूतपूर्व सैनिकों की सुरक्षा वाहिनी गठित की जावे। (जनसंकल्प 2013 पृ0क्र0 26)

8. इनका उपयोग सुरक्षा सैनिक (गार्ड) के तौर पर किया जा सकता है । साथ ही सिक्यूरिटी एजेंसिस के माध्यम से इन्हें रोजगार भी उपलब्ध कराया जा सकता है। अप्रशिक्षित सुरक्षा गार्डों के प्रशिक्षिण की व्यवस्था की जावे।

9. वरिष्ठ नागरिकों को, अपनी सुरक्षा के हित में उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं इसकी विस्तृत जानकारी पुलिस समय–समय पर प्रचारित करें। इसमें पेशनर्स संगठनों एवं एन.जी.ओ. का सहयोग लिया जावे। इस हेतु जनसंपर्क विभाग के साथ पहल की जा सकती है, व हर शासकीय विज्ञप्ति/विज्ञापन में वृद्धजनों से संबंधित स्लोगन (नारे) मुद्रित किये जा सकते हैं।

10. प्रत्येक जिला पुलिस अधीक्षक थानेवार माह के दौरान वरिष्ठ नागारिकों के विरूद्ध माह में घटित अपराधों की स्थिति के बारे में जिला मजिस्ट्रेट को विवरण प्रस्तुत करे।

11. माता–पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 तथा नियम, 2009 के प्रावधानो का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए।

12. वृद्धजनों के हित में दिनांक 24/7/2012 को पुलिस मुख्यालय से जारी परिपत्र क्र./ अआवि/विधि/54/12/564/12 के संबंध में विभाग के मैदानी अधिकारियों व आम–जनों में जानकारी का अभाव है, अतः इसको पुनः प्रचारित–प्रसारित किया जाए। जिससे आम जन तक व्यापक तौर पर यह जानकारी पहुंचाई जा सके। इस सर्कुलर का प्रचार–प्रसार समय–समय पर नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों, समाजसेवी संगठन, पेंशनर क्लबों, रहवासी कल्याण समितियाँ हाउसिंग सोसायटी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है।

13. वृद्ध जनसामान्य को पुलिस द्वारा उनको उपलब्ध हो सकने वाली सेवाओं की जानकारी का अभाव है। इस हेतु समय–समय पर जन–जागरण अभियान चलाया

जाना आवश्यक प्रतीत होता है। इस अभियान में विभाग से सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी एवं समाज के हित में कार्य कर रही अन्य संस्थाओं का भी सहयोग लिया जा सकता है। इस हेतु गृह विभाग, जन संपर्क विभाग से समन्वय कर जन–जागरण अभियान को और प्रभावी बना सकता है।

14. माता–पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम, के तहत प्रदेश में जिलेवार कुल कितने मामले दर्ज किये गये हैं, व उनके निराकरण की स्थिति का उल्लेख गृह विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन में नही किया जाता है। विभाग आगामी वार्षिक प्रतिवेदन में प्राथमिकता से इसका उल्लेख करे।

15. अपराधों का उम्रवार वर्गीकरण वर्तमान मे नही किया जाता है। इससे वृद्धजनों के साथ हो रही वारदातों के बारे में सटीक जानकारी नही मिल रही है। वृद्धजनों के साथ हो रहे अपराधों को समझने एवं उनकी रोकथाम करने में यह जानकारी प्रभावी हो सकती है।

16. गृह विभाग के अंतर्गत किशोर न्याय एवं बालकों की देख–रेख संरक्षण अधिनियम नियम 2003 के अंतर्गत यूनीसेफ के सहयोग से बालक/बालिकाओं के कल्याण व उत्थान के लिये (बाल सहायता प्रकोष्ठ) की स्थापना की गयी है। इसी तरह माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों को भरण–पोषण कल्याण अधिनियम के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ का गठन करने से गृह विभाग को मानीटरिंग में सुविधा होगी। ज्ञातथ है **दिल्ली पुलिस ने ऐसा सीनियर सिटीजन सेल गठित किया है जिसे अत्यधिक सफलता मिली है।**

17. प्रदेश में याता–यात नियंत्रण के अंतर्गत याता–यात नियमों का उल्लंघन करने पर नियम अनुरूप कार्यवाही की जाती है। मध्यप्रदेश की जनसंख्या के अनुरूप ट्रेफिक पुलिस अधिकारियों व पुलिस कर्मियों की कमी बतलायी गई है। ट्रेफिक वार्डन का अधिकारिक रूप से गठन किया जाकर उन्हें नगर एवं ग्राम रक्षा समितियों को मिलने वाली सुविधायें सुलभ कराना एवं ज्यादा से ज्याद एन.जी.ओ. व पेशनर संघों, एन.सी.सी आदि अन्य संस्थाओं को इस हेतु ट्रेफिक पुलिस से जुड़ना उपयुक्त है। इस कार्य में पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी भी आंशिक रूप से सहयोगी हो सकते हैं। पीक–अवर में अतः शाम को 2–4 घण्टे के लिये वे अपनी सेवायें निःशुल्क दे सकते हैं। पेंशनर संगठनों द्वारा भी इस कार्य में सहायता करने में रूचि दर्शायी गई है। वैसे भी नई टेक्नोलाजी का उपयोग याता–यात में प्रांरभ हो गया है। इस हेतु ट्रेफिक लाईट्स लगाई गई हैं। महानगरों में सी.सी. टी.वी कैमरे लगाए गए है, अतः स्वयं सेवी संस्थाओं के सहयोग से इस कार्य को करने से

न केवल आम नागरिकों को सुविधा प्राप्त होगी बल्कि इन सेवा निवृत्तों का समय भी कटेगा व समाज की सेवा करने का उन्हें संतोष भी मिलेगा।

18. वरिष्ठ नागरिकों के लिए हाल ही में गृह विभाग द्वारा "हेल्प लाइन सेवा" उपलब्ध कराई जाने के समाचार प्रकाशित हुए है। किन्तु प्रचार–प्रसार के अभाव में मैदानी पुलिसकर्मियों एवं वरिष्ठजनों तक इसकी जानकारी व्यापक तौर पर नही पहुंच सकी है। इस हेतु गृह विभाग, जनसंपर्क विभाग से समन्वय स्थापित कर विभाग द्वारा किये गये इस प्रशंसनीय कार्य को जन–जन तक पहुंचाने के लिए प्रयास करे।

वित्तीयः– " निरंक "

गृह विभाग की अनुशंसाओं का विवरण

विभाग का नाम	गैर वित्तीय	वित्तीय	कुल अनुशंसा
गृह विभाग	18	0	18